यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर जिला पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर जिला पौड़ी के माह 06/2013 से माह 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 14.03.2019 से 18.03.2019 तक संपादित की गई ।

भाग-1

1- **परिचयात्मकः-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री रामवीर सिंह , वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10.06.2013 से 14.06.2013 तक श्री आइ के जुयाल , वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2010 से माह 05/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2013 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2- (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा जिला चिकित्सालय में आये जनपद के ग्रामीण एवं शहरी रोगियों को प्राथमिक एवं द्वितीयक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना। (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाए)

(ii) (अ) विगत 06 वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2013-14	0.00	0.00	294.14	284.86	9.28	35.00	35.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	329.85	329.85	0.00	75.00	75.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	356.65	356.65	0.00	50.00	50.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	377.02	377.02	0.00	40.00	40.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	428.85	428.85	0.00	25.00	25.00	0.00
2018-19 (फरवरी 2019 तक)	0.00	0.00	479.84	367.86	111.98	40.00	40.00	0.00

अवशेष राशि वर्ष के अंत में शासन को समर्पित

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

Year	Name of Schemes	OB	Receipt	Total	Expenditure	CB
2013-14	NHM	0.30	5.20	5.50	3.83	1.67
2014-15		1.67	5.00	6.67	4.48	2.19
2015-16		2.19	3.50	5.69	3.28	2.41
2016-17		2.41	7.26	9.67	6.75	2.92
2017-18		2.92	3.35	6.27	5.85	0.42
2018-19 (up to 02/2019)		0.42	7.98	8.40	3.20	5.20

( ) इकाई को बजट आबंटन **महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून** (स्त्रोत बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**स**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः- सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण → **मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी →चिकित्सा अधीक्षक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर**

( )लेखा **परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में चिकित्सा अधीक्षक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर जिला पौड़ी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन चिकित्सा अधीक्षक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर जिला पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **06/2015, 10/2017 तथा 10/2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा प्रबन्धन समिति से किये सभी व्यय आदि योजना, एवं स्थापना मद आदि का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 01 : **जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 108 लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया जाना तथा 58 लाभार्थियों को विलंब से भुगतान किया जाना।**

जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 16.1 के अनुसार प्रसव के 07 दिन पहले या बाद में किया गया भुगतान अवैध माना जाएगा तथा लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन आएगा।

संयुक्त चिकित्सालय के जननी सुरक्षा योजना से संबन्धित रजिस्टर की जांच में पाया गया कि चिकित्सालय में लाभार्थियों को भुगतान 07 दिनो के अंदर न करके विलंब से किया जा रहा है, नमूना जांच में पाया गया कि 58 प्रकरणो में लाभार्थियों को भुगतान 09 दिनो से लेकर 405 दिनो तक के विलंब से किया गया है। (विवरण संलग्नक में)

आगे भुगतान संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सितंबर 2017 से लाभार्थियों को चेक द्वारा भुगतान बंद कर दिया गया था, तथा चेक से भुगतान के स्थान पर सीधे लाभार्थियों को उनके खाते में धनराशि दिये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

सितंबर 2017 से फरवरी 2019 तक संयुक्त चिकित्सालय में कुल 434 प्रसव हुए थे जबकि इसके सापेक्ष 326 लाभार्थियों को भुगतान किया गया था, (विवरण संलग्नक में) इस प्रकार 108 लाभार्थी जेएसवाई के अंतर्गत भुगतान से वंचित रहे।

जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत विलंब से भुगतान करने एवं भुगतान नहीं किये जाने से योजना के मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी है, संप्रेक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि लाभार्थियों द्वारा समय से अपने प्रपत्र उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण समय से भुगतान नहीं किया जा सका है। उत्तर मान्य नहीं है, चिकित्सालय द्वारा लाभार्थी से गर्भावस्था के दौरान विभिन्न जाँचों के समय आवश्यक प्रपत्र प्राप्त किए जाने चाहिए।

प्रकरण सज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 02 : मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ₹ 1.88 लाख के बीमा दावे निरस्त किया जाना।

उत्तराखंड शासन द्वारा फरवरी 2015 में राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (MSBY) लागू करने का निर्णय लिया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक APL तथा BPL परिवार (राजकीय कर्मचारी तथा पेंशनधारी परिवारों को छोड़कर) को नकद रहित चिकित्सा उपचार की सुविधा दी गई है यह लाभ केवल अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने की दशा में देय था . योजना के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा . प्रत्येक परिवार का एक MSBY कार्ड बनेगा जिसके लिए प्रत्येक परिवार को ₹ 30/ पंजीकरण शुल्क देय होगा बीमा कवर प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹50,000/ तक निर्धारित की गई है. योजना के अंतर्गत ₹335 / प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से बीमा कवर दिया जायेगा जो कि सरकार द्वारा देय था . योजना के अंतर्गत एमएसबीवाई के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों को बीमा कंपनी के साथ द्विपक्षीय अनुबंध करना था एमएसबीवाई कार्ड धारकों को किसी भी पंजीकृत सरकारी चिकित्सालयों में लाभ प्राप्त करने हेतु बीमा कंपनी द्वारा किसी भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

जनपद पौड़ी में राजकीय संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर इस योजना के अंतर्गत आच्छादित है, जून 2015 में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा चिकित्सालय के समस्त चिकित्सा अधिकारियों एवं समस्त फरमासिस्ट एवं उपचारिकाओं को निर्देशित किया कि भविष्य में बीएचटी पर बीमारी एवं इलाज का विवरण , प्री औथ्राइजेशन फार्म तथा लैब रिपोर्ट आदि पूर्ण रूप से भरें। अगस्त 2016 से संयुक्त चिकित्सालय का एमएसबीवाई के अंतर्गत बजाज एलियांज से एमओयू हुआ था।

आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एमएसबीवाई के अंतर्गत संयुक्त चिकित्सालय के 32 प्रकरणो के ₹ 1,87,950/ का दावा निरस्त किया गया है।

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए उत्तर दिया कि कुछ लाभार्थियों के प्रकरणो में समस्त विवरण जैसे डिस्चार्ज समरी/ जांच रिपोर्ट अपलोड नहीं की जा सकी है जिससे कि यह दावे बीमा कंपनी द्वारा निरस्त किए गए हैं।

इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के बावजूद लाभार्थियों/मरीजों से संबन्धित समस्त विवरण अपलोड नहीं किए गए जिससे कि दावे निरस्त हुए।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

भाग दो ब

प्रस्तर :3– विगत 25 वर्ष से रू 3.59 लाख की निष्प्रोज्य पड़ी सामग्री का निस्तारण न होने से राजस्व की हानि।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 06 के प्रस्तर 189 एवं 190 के प्रावधानों के अनुसार जैसे ही यह तथ्य प्रकाश में आये कि स्टोर की कोई सामग्री निष्प्रयोज्य हो गयी है तो तत्काल फार्म 18 के प्रारुप में एक रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को दी जाएगी। इसके पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोक नीलामी द्वारा बिक्री कर सामग्री का समायोजन किया जाएगा तथा **नीलामी** से प्राप्त धनराशि को चालान के माध्यम से राजकोष में जमा किया जाएगा।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक राजकीय सयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर, जनपद पौड़ी के स्टाक सम्बन्धित अभिलेखों की जाचॅ में पाया गया कि चिकित्सालय में रू 3.59 लाख की सामग्री विगत 05 से लेकर 25 वर्षो से निष्प्रेज्य पड़ी हुई (सूची सलग्नक) हैं। चिकित्सालय द्वारा नियमानुसार निष्प्रयोज्य साम्रगी के निस्तारण समय–समय पर किया जाना चाहिऐ था ऐसा न करने से समाग्री के मूल्य में निरन्तर हास् होने से इनकार नही किया जा सकता है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने कहा कि निष्प्रयोज्य सामग्री की शीध्र नीलामी हेतु कार्यवाही की जाऐगी। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है **क्योंकि** सामग्री विगत 25 वर्षो से निष्प्रोज्य पड़ी हुई है जिसका निरन्तर ह्रास हो रहा है। जबकि नियमानुसार यदि समाग्री का समयनुसार निस्तारण होता जाता तो अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती।

अतः विगत 25 वर्ष से रू 3.59 लाख की निष्प्रोज्य पड़ी सामग्री का निस्तारण न होने से राजस्व की हानि होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तरः–4 रू 7.30 लाख धनराशि की उपलब्धता के बावजुद विगत 3 वर्षो में चिकित्सालय में भर्ती 8612 मरीजो ंका पौष्टिक भोजन नियमानुसार सुनिश्चित नहीं कराया जाना।

अ.शा पत्र सख्या 1036 चि–2–2003 दिनॉक 21 अप्रैल, 2003 के अनुसार स्पष्ट प्रवधान है कि चिकित्सा प्रबन्धन समिति को चिकित्सालय में रोगियों हेतु भोजन, पौष्टिक–आहार दवाईयों एवं उपकरणों की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान है। शासनादेश (जुलाई 2010) के अनुसार चिकित्सालय में (कैटिरिग) भोजन व्यवस्था सेवा हेतु अनुबन्ध गठित किया जाना अनिवार्य है एवं अनुबन्ध की अवधि अधिक से अधिक तीन वर्ष की होनी चाहिए।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर, जनपद पौड़ी के भोजन सम्बन्धित अभिलेखो की जाचॅ में पाया गया कि विगत 03 वर्षो से चिकित्सालय में भर्ती मरीजो हेतु भोजन की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नही की जा रही है। जबकि भोजन मद में प्रत्येक वर्ष बजट आवटितं किया जा रहा है। विगत 03 वर्षों में चिकित्सालय में मरीज **भर्ती** की सख्या एवं आवटनं किये बजट का विवरण निम्न हैः–

(धनराशि लाखों में)

क्र0स0	वर्ष	चिकित्सालय में भर्तीरोगियोंकीसख्या	आवटंनधन राशि	व्यय धनराशि
01	2016–17	2612	3.30	शुन्य
02	2017–18	2566	2.00	शुन्य
03	2018–19	3434	2.00	शुन्य
योग		8612	7.30	

इस प्रकार उक्त वर्षो में चिकित्सालय में भर्ती 8612 मरीजो को किसी भी प्रकार की भोजन की व्यवस्था नही की गयी और आवटित बजट रू 7.30 उपयोग में नही लाया जा सका जो कि शासनादेशो की अवहेलना है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर चिकित्सालय ने कहा कि चिकित्सालय से भर्ती रोगियों को भोजन उपलब्ध करने के लिए शीध्र ही निविदा प्रक्रिया प्रारभ्भ की जायेगी।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है **क्योंकि** विगत 3 वर्षो में चिकित्सालय में 8612 मरीजों भर्ती किये गये जिसके लिए भोजन मद में धनराशि भी उपलब्ध थी इसके बावजुद भी मरीजों को पौष्टिक भोजन से वंचित रखा।

अतः रू 7.30 लाख धनराशि की उपलब्धता के बावजुद विगत 3 वर्षो में चिकित्सालय में भर्ती 8612 मरीजो ंका पौष्टिक भोजन से वंचित रखने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	**वर्ष**	**भाग-दो अ प्रस्तर सं0**	**भाग-दो ब प्रस्तर सं0**	**STAN प्रस्तर सं0**
	92-93	--	01	--
	2000-01	--	01	--
262	2001-02	--	01	--
30	2002-03	--	01	--
52	2007-08	01	01,02	--
09	2013-14	--	1,2,3	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अलुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
92-93	II B-01	इकाई द्वारा सूचित किया गया कि विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुपालन आख्या महानिदेशक कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है, अनुमोदन प्राप्त होते ही अनुपालन आख्या संप्रेक्षा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। शेष प्रतिवेदनो की अनुपालन आख्या संप्रेक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।		
2000-01	II B-01			
262/2001&02	II B-01			
30/2002-03	II B-01			
52/2007-08	II A- 01 II B-01,02			
09/2013-14	II B-01,02,03			

भाग-4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-5

<u>आभार</u>

1- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर जिला पौड़ी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) **शून्य**

2- सतत अनियमितताएं:-

(अ) **शून्य**

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा0 एस एस चौहान	चिकित्सा अधीक्षक	दिनांक 01.02.2012 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर जिला पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखारीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.